दूसरी अनुसूची THE SECOND SCHEDULE [नियम 3 (एच) देखें]/[See Rule 3(h)] फार्म 1/FORM 1

(नियम 14 देखें)/(See Rule 14)

अवकाश अथवा अवकाश बढ़ाने हेतु आवेदन APPLICATION FOR LEAVE OR FOR EXTENSION OF LEAVE

1. प्रार्थी का नाम	
Name of applicant	
2. पद	
Post held	
3. विभाग, कार्यालय और अनुभाग	
Department, Office and Section	
4. वेतन	
Pay	
5. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया और अन्य	
प्रतिकर भते	
House rent and other compensatory allowances	
Drawn in the present post	
6. मांगे गए अवकाश की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने	
की तारीख	
Nature and period of leave applied for and date	
From which required 7. रविवार और अवकाश के दिन, यदि कोई हो, जिन्हें अवकाश	
से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं।	
Sundays and holidays, if any proposed to be prefixed/ Suffixed to leave	
8. अवकाश का कारण	
Grounds on which leave is applied for	
9. पिछले अवकाश से लौटने की तारीख और उस अवकाश की	
किस्म और अवधि	
Date of return from last leave and the nature and	
Period of that leave	
10. मेरा विचार आगामी अवकाश मेंब्लाक	
वर्षों के लिए अवकाश यात्रा रियायत लेने का है/नहीं है।	
I propose/do not propose to avail myself of leave	
Travel concession for the block year	
During the ensuring leave 11. अवकाश के दौरान पता	
Address during leave period	
radiess during leave period	
	प्रार्थी के हस्ताक्षर
तारीख	Signature of Applicant
Date	
12. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश	
Remarks and/or recommendation of the controlling	
Officer	
तारीख	हस्ताक्षर/Signature
Date	
	पदनाम/Designation

अवकाश की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE

13. प्रमाणित किया जाता है कि	से	तक दिन के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा	
(अवकाश) नियमावली 1972 के नियम	के अधीन	(अवकाश की किस्म) अनुमत्य है।	
Certified that	(Nature of leave) for		
(Period) fromto	Is admissib	le under Rule	
of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.			
तारीख	हस्ताक्ष	₹/ Signature	
Date			
	पदनाम/	Designation	
*14. अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी के आदेश Orders of the authority competent to grant leave.	I		
तारीख	हस्ताक्ष	₹/ Signature	
Date		Designation	

^{*} यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता है तो मंजूरी करने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि अवकाश पूरा होने पर प्रार्थी को उसी

पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहां इसी प्रकार का भता मिलता हो।

^{*} If the applicant is drawing any compensatory allowance, it should also be indicated in the orders in the expiry of leave the Government servant is likely to return to the same post or to another post carrying similar allowance.